सं - 2398
04/10/12

दिनांक 21.09.2012 को 11 बजे पूर्वाह्न में सचिव, कल्याण विभाग की अध्यक्षता में झारखण्ड ट्राईबल डेवलपमेंट सोसाईटी, राँची के निदेशक मंडल की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :-

1. श्री एल. खियांग्ते, सचिव कल्याण विभाग सह अध्यक्ष जे.टी.डी.एस.।
2. श्री राकेश कुमार, उपायुक्त, खुँटी।
3. डॉ. एच. एस. गुप्ता, राज्य कार्यक्रम निदेशक, जे.टी.डी.एस.।
4. श्रीमती उमा शशि चटर्जी, परियोजना निदेशक, समेकित जनजातीय विकास प्राधिकार, पूर्वी सिंहभूम।(उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम के प्रतिनिधि)
5. श्री भीष्म कुमार, परियोजना निदेशक, समेकित जनजातीय विकास प्राधिकार, सरायकेला-खरसांवा।(उपायुक्त सरायकेला-खरसांवा के प्रतिनिधि)
6. श्री कामेश्वर प्रसाद, निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, चाईबासा, (उपायुक्त, प. सिंहभूम के प्रतिनिधि)।
7. श्री सलन भूंईया, उपनिदेशक, आदिवासी कल्याण, (आदिवासी कल्याण आयुक्त के प्रतिनिधि)।
8. श्री राम सागर, उप निदेशक कल्याण, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची (प्रमण्डलीय आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर के प्रतिनिधि)।
9. श्री सोमा सिंह मुण्डा, सहायक निदेशक, झारखण्ड जनजातीय कल्याण शोध संस्थान, राँची (आमंत्रित सदस्य)
10. श्री गुरूचरण सिंह मुण्डा, (आमंत्रित सदस्य)।

बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए सचिव, कल्याण विभाग -सह- अध्यक्ष, जे.टी.डी.एस. द्वारा बैठक की कार्रवाई प्रारम्भ करने का निदेश राज्य कार्यक्रम निदेशक को दिया गया।

उपस्थित सदस्यों के अभिवादन उपरान्त, निदेशक मंडल की बैठक की अध्यक्षता कर रहे सचिव, कल्याण विभाग के निदेशानुसार राज्य कार्यक्रम निदेशक, जे.टी.डी.एस. द्वारा कार्यावली में उल्लेखित बिन्दुओं पर चर्चा प्रारम्भ की गई।

<u>कार्यावली संख्या- 1</u>:- दिनांक 21.01.2011 को झारखण्ड ट्राईबल डेवलपमेंट सोसाईटी, राँची निदेशक मण्डल की बैठक में निदेशित बिन्दुओं पर अनुपालन को निदेशक मंडल द्वारा सम्पुष्ट किया गया, साथ ही अनुपालन नहीं हुए बिन्दुओं पर शीघ्र अनुपालन करने का निर्णय लिया गया।

कार्यावली संख्या- 2:- कार्यक्रम क्रियान्वयन की अद्यतन स्थिति पर चर्चा के क्रम में सचिव, कल्याण विभाग सह जे.टी.डी.एस. द्वारा निदेश दिया गया कि प्रथम चरण के ग्रामों में प्रभावी Convergence सुनिश्चित कराने हेतु आवश्यक कारवाई की जाए।

निदेश दिया गया कि कार्यक्रम ग्रामों में किए गए कार्यो से संबंधित विवरण सभी संबंधित उपायुक्त को उपलब्ध करा दी जाए साथ ही इन सूचनाओं को जे.टी.डी.एस. के वेब साईट पर अपलोड करा लिया जाए।

राज्य कार्यक्रम निदेशक द्वारा कार्यक्रम क्रियान्वयन की अद्यतन स्थिति के संबंध में बताया गया की सभी संबंधित विभागों यथा कृषि, सहकारिता, पशुपालन, नेशनल जूट बोर्ड, ICRISAT, झारक्राफ्ट, वन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग एवं पर्यटन विभाग इत्यादि से Convergence स्थापित करने हेतु आवश्यक प्रयास किए गए है, तथा उपरोक्त सभी विभागो से भी सकारात्मक पहल की जा रही है।

कार्यावली संख्या- 3:- वार्षिक कार्य-योजना एवं बजट 2012-13 को निदेशक मंडल द्वारा सर्वसम्मति से घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

कार्यावली संख्या- 4:- वार्षिक कार्य-योजना एवं बजट 2012-13 के Re-appropriation पर निदेशक मंडल द्वारा सर्वसम्मति से घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

कार्यावली संख्या- 5:-जे0टी0डी0एस0 कार्यालय को झारखण्ड जनजातीय कल्याण शोध संस्थान परिसर स्थित भवन में स्थानांतरित करने से पूर्व भवन की मरम्मति हेतु प्राप्त स्वीकृत कार्यो में संशोधन एवं बदलाव के साथ राशि के Re-appropriation एवं अतिरिक्त कार्य कराने हेतु निदेशक मंडल द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान किया गया।अन्य शेष आवश्यक कार्यो को भी जरूरत के अनुसार पूर्ण करा लेने का निदेश दिया गया।

कार्यावली संख्या- 6:- ICRISAT के नए IFAD-ICRISAT Grant परियोजना के क्रियान्वयन हेतु ICRISAT एवं JTDS के बीच हुए एकरारनामा पर चर्चा के उपरान्त निदेशक मंडल द्वारा सर्वसम्मति से घटनोत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्यावली संख्या- 7:- जे0टी0डी0एस0 के संशोधित स्मृति पत्र एवं नियमावली (Memorandum of Association/ Bylaws) पर निदेशक मंडल द्वारा चर्चा के क्रम में निम्नांकित बिन्दुओं पर संशोधन के निर्णय के साथ सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।-

(i) General Council में सभी 14 परियोजना जिलों के उपायुक्तों को रखने का निर्णय लिया गया।

(ii) निदेशक मंडल में 14 में से 7 परियोजना जिलों के उपायुक्तों को Rotation के आधार पर बारी-बारी से BoD की बैठकों में बतौर सदस्य शामिल करने एवं बुलाने का निर्णय लिया गया।

(iii) General Council की बैठक वर्ष में एक बार बुलाने का निर्णय लिया गया।

(iv) निदेशक मंडल की बैठक वर्ष में कम से कम दो बार अथवा आवश्यकतानुसार बुलाने का निर्णय लिया गया।

कार्यावली संख्या- 8:- जे0टी0डी0एस0 के Financial Regulations को निदेशक मंडल द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्यावली संख्या-- 9:- जे0टी0डी0एस0 के Manual of Personnel Policies and Procedures पर निदेशक मंडल द्वारा चर्चा के क्रम में निम्नांकित बिन्दुओं पर संशोधन के निर्णय के साथ सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया -

(i) कंडिका 40 में वर्णित राज्य परियोजना निदेशक की नियुक्ति को संशोधित कर "Preferably from All India Service members" करने का निर्णय लिया गया।

(ii) कंडिका 68 में वर्णित भारत सरकार/झारखण्ड सरकार से प्रतिनियुक्ति पर आए पदाधिकारी/कर्मचारी को देय परियोजना भत्ता में संशोधन करते हुए केवल मूल वेतन एवं Grade Pay का 20% परियोजना भत्ता स्वरूप भुगतान करने का निर्णय लिया गया।

कार्यावली संख्या-- 10:- जे0टी0डी0एस0 में कार्यरत कर्मियों को JTELP परियोजना में समायोजन से संबंधित प्रस्ताव को निदेशक मंडल द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई। निर्णय लिया गया की कार्यरत कर्मियों को प्राथमिकता के आधार पर आंतरिक समिति गठित कर शीघ्र समायोजन करने के उपरान्त शेष बचे पदों पर नियुक्ति हेतु अग्रेत्तर आवश्यक कारवाई सुनिश्चित की जाए।

कार्यावली संख्या-- 11:- अन्य बिन्दु अध्यक्ष की सहमति से।

(i) राज्य कार्यक्रम निदेशक के चिकित्सा विपत्र का भुगतान एवं यात्रा भत्ता प्रतिपूर्ति हेतु परियोजना के प्रथम चरण अवधि के लिए राज्य कार्यक्रम निदेशक को स्वअनुमोदन हेतु अधिकृत किया गया।

(ii) JTELP के Project Design एवं Project Implementation Manual को निदेशक मंडल द्वारा सैद्धान्तिक तौर पर स्वीकार करते हुए सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

(iii) JTELP के Project Design एवं Project Implementation Manual के अर्न्तगत प्रावधानित Retro-Active Financing को निदेशक मंडल द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया, साथ ही JTELP के क्रियान्वयन हेतु गतिविधिवार Time line तय कर आवश्यक अग्रेत्तर कारवाई सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

(iv) TERI के साथ गैर परम्परागत उर्जा के क्षेत्र में मिलकर कार्य करने के प्रस्ताव के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त कर अग्रेत्तर कारवाई करने के संबंध में निदेशक मंडल द्वारा सहमति प्रदान की गई।

3/10

(एल0 खियांगते)
सरकार के सचिव-सह-
अध्यक्ष, जे0टी0डी0एस0।

3/10

D:\2012-13\Arun Sir\BoD 21.09.12.doc

ज्ञापांक :- 4/ईफाड–10/12 2398 राँची, दिनांक :– 04/10/14

प्रतिलिपि :– प्रमण्डलीय आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची एवं संथाल परगना प्रमंडल, दुमका/आदिवासी कल्याण आयुक्त, राँची/राज्य कार्यक्रम निदेशक, झारखण्ड ट्राईबल डेवलपमेंट सोसाईटी, राँची/उपायुक्त – राँची, खूँटी, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला–खरसावाँ, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, साहेबगंज, जामताड़ा, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा एवं लातेहार/उप निदेशक, कल्याण, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची एवं संथाल परगना प्रमंडल, दुमका/सभी आमंत्रित सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(एल0 खियांग्ते)
सरकार के सचिव-सह-
अध्यक्ष, जे0टी0डी0एस0।

3/10

D:\2012-13\Arun Sir\BoD 21.09.12.doc